अमित कंवर, निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 04.09.2021 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.1463 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या :–

उक्त प्रस्तावित पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04.09..2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज एवं श्री नीरज नौटियाल, कनिष्ठ अभियन्ता, पेयजल निगम, कर्णप्रयाग साथ में रहे। गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के स्थलीय निरीक्षण से पहले पेयजल योजना का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया :–

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षण :–

इस पेयजल योजना के निर्माण से ग्राम सयिलाना, गैड़, गैरसैंण, कोलियाना, गांवली एवं सैंजी आदि ग्राम लाभान्वित होगें। निरीक्षण के दौरान पेयजल योजना निर्माण हेतु प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित संरेखण में बांज के विभिन्न व्यास वर्ग में 7 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया।

अतः प्रस्तावित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाया गया तथा पेयजल योजना निर्माण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. पेयजल योजना निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
2. पेयजल योजना निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।
3. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पेयजल योजना निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।

(अमित कंवर)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

P.T.O.

पत्रांक 792 / 12-1 दिनांक 20/09/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

2:– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

3:– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कर्णप्रयाग, चमोली।

(अमित कंवर)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.1463 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

28	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण **दि0 04.09..2021** को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज एवं श्री नीरज नौटियाल, कनिष्ठ अभियन्ता, पेयजल निगम, कर्णप्रयाग साथ में उपस्थित रहे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा गया कि प्रस्तावित पेयजल योजना का वैकल्पिक संरेखण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मौके पर पेयजल योजना के प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग–2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित पेयजल योजना निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये।

तिथि 20/09/2021
स्थान–गोपेश्वर।

(अमित कंवर)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

प्रारूप – 22

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण हेतु 1.1463 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **04.09.2021** को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :–

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक/कम्पार्टमेन्ट /खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										योग
					0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	
1.	वन पंचायत	तलगांव मरोड़ा	बांज	Quercus leucotrich ophora	–	–	01	02	03	01	–	–	–	–	07
योग :–					–	–	**01**	**02**	**03**	**01**	–	–	–	–	**07**

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

(अमित कंवर)
निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।